बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

|| अधिसूचना ||

पटना, दिनांक :– 18/6/14 /

संख्या– 8/व०3–34/2012 768/ "बच्चों की मुफ्त् एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009" के प्रावधानों के तहत राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए प्रतिवर्ष निर्धारित न्यूनतम कार्य दिवसों, न्युनतम शैक्षणिक अवधि एवं प्रतिदिन विद्यालय संचालन की अवधि निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :–

1. शैक्षणिक सत्र में कार्य दिवसों की कुल संख्या :– 240 दिन (आकस्मिक स्थिति में विद्यालय बन्द होने के पश्चात भी कम–से–कम 220 दिन)
2. शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम कार्य के घंटे :–
   (क) कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए – 800(आठ सौ) घंटे।
   (ख) कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए – 1000(एक हजार) घंटे।
3. प्रति सप्ताह शिक्षकों के लिए कार्य अवधि :– 45 घंटे। (इसमें पठन–पाठन की तैयारी की अवधि निहित है)

इस प्रकार विद्यालय का प्रतिदिन सामान्य कार्य अवधि 6.30 घंटे की होगी तथा पठन–पाठन की न्यूनतम अवधि प्रतिदिन 4.55 घंटे की होगी।

पूर्व में निर्गत अधिसूचना/आदेश को इस हद तक संशोधित माना जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

18/6/14
(आर० के० महाजन)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 8/व०3–34/2012 768/ पटना, दिनांक :– 18/6/14 /

प्रतिलिपि :– राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/6/14
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 8/व०3–34/2012 768/ पटना, दिनांक :– 18/6/14 /

प्रतिलिपि :– अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी० डी० के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 1000 प्रतियाँ कार्यालय कार्य हेतु उपलब्ध करायी जाए।

18/6/14
प्रधान सचिव

E:\Pri. edu. (JI)\Aadesh, Adhisuchana,Sankalp.doc